प्रश्न सं. [क्र. 1133]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1133
माननीय विधायक - श्री रमेश मेन्दोला
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 20.12.2019

परिशिष्ट - "25"

अध्याय – 5

विद्युत प्रदाय बिन्दु एवं परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण
(Point of Supply and Licensee's equipment in Premises)

विद्युत प्रदाय बिन्दु (Point of Supply)

5.1 जब तक किसी अन्य प्रकार से सहमति न हो विद्युत प्रदाय का प्रारंभिक बिन्दु अनुज्ञप्तिधारी के बहिर्गामी टर्मिनल (outgoing Terminal) पर निम्नानुसार अवस्थित होगा :

(अ) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट (cut out) पर, तथा

(ब) उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर पर जिसकी स्थापना अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी परस्पर सहमति से की जा सकेगी।

5.2 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के कट–आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्विचगियर से पूर्वप्रवेशी टर्मिनल (Incoming Terminal) पर एकल बिन्दु पर किया जाएगा। भिन्न–भिन्न परिसरों में भिन्न–भिन्न संयोजन प्रदान किये जायेंगे। कोयला खदानों के प्रकरण में विशेष तौर पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक अभिन्यास (physical lay out) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दुओं पर भी विद्युत प्रदाय कर सकेगा।

5.3 उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विद्युत प्रदाय का बिन्दु इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि वह मार्ग से दृष्टिगोचर हो तथा वहां आसानी से भी पहुंचा जा सके।

समर्पित संभरक (Dedicated Feeder)

5.4 यदि किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक सामान्य संभरक (feeder) के अतिरिक्त उसके अनुरोध किये जाने पर पृथक संभरक से भी विद्युत प्रदाय किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पृथक संभरक को "समर्पित संभरक" कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर में समर्पित संभरक को स्थापना हेतु गुण–दोष (merit) के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा । यदि साध्य हो तो उपभोक्ता को समर्पित संभरक प्रदाय किया जाएगा एवं उपभोक्ता को इसके लिये म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। समर्पित संभरक का विस्तार विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भिक बिन्दु तक किया जाएगा।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की स्थापना (Licensee's Equipment in Consumer's Premises)

5.5 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता के लिये सेवाप्रदाय हेतु न केवल अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे केबल (Direct Cable) या शिरोपरि तन्तुपथ (overhead

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1133
माननीय विधायक श्री रमेश मेन्दोला
सदन के उत्तर देने का दिनांक - 20.12.2019

परिशिष्ट - "ब"

(iv)यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास–गृह/फ्लेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड़ दी जाती है तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने बाबत् कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो।

4.13 विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतु सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसी भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय बिन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि

(अ) वे सुस्पष्ट स्थापना तथा अमला धारित करते हों; अथवा

(ब) वे भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों; अथवा

(स) जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग–अलग अनुज्ञप्तियों या पंजीकरणों के अंतर्गत आते हों, जहां यह प्रक्रिया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुसंबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुस्पष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतु) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(ए) निम्नदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at LT)

4.14 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवेदन में पाई गई कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में तीन कार्यदिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात, दो दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित् दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर होगी ।

4.15 निरीक्षण के दौरान, आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार (licensed contactor)के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :

(i) विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मापयन्त्र (मीटर) एवं कट–आऊट/एमसीबी लगाने का स्थान निर्धारित करेगा।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल